

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

युआईडी संख्या : UPFS/2021/36459/CHN/CHANDAULI/210/CFO  
दिनांक : 26-08-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **LAXMI PUBLIC SCHOOL** पता **ARAZI NO 32 2 32 3, KAILASHPURI MAUZA BECHUPUR PARAGANA MAWAI, CHANDAULI** तहसील - **MUGHALSARAI** प्लाट एरिया **1940.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3921.38** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	13.26 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **LAXMI PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **28-08-2021** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MANOJ KUMAR YADAV** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-08-2021** से **27-08-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **LAXMI PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **LAXMI PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** According to the IS of NBC and related Bureau of Indian Standards, it will be necessary to maintain all the fire fighting systems and equipments installed in the building in working condition at all times. In the event of the system being unavailable and non-working, the fire safety certificate issued will automatically be treated as cancelled.

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

निर्गत किये जाने का दिनांक : **28-08-2021**  
स्थान : **CHANDAULI**



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**SUBHASH SINGH**

FF58512D37E1168B6905CDA8924D206F50D86CA7

28-08-2021

*Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.*